ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए प्रशिक्षण निर्देशिका

VAAGDHARA

unicef
unite for children

अनुक्रमणिका तथा सत्र अनुसार गतिविधियां

प्रस्तावना	1
संक्षेपाक्षर	2
प्रशिक्षण के उद्देश्य व अपेक्षाऐं	3
परिचय सत्र	4
बच्चे की परिभाषा	5
बाल अधिकार	6-17
ग्राम पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति	18-21
मीटींग व कोरम	22-23
बाल संरक्षण	24
बाल मैत्री गांव/पंचायत	25-26
सूत्रधार की भूमिका, समापन एवं धन्यवाद समारोह	27-28

प्रस्तावना

भारत की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत बच्चे है तथा 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में निवास करती है अतः गावों में रहने वाले बच्चों की जनसंख्या भी ज्यादा है इसलीये सरकार द्वारा गांव स्तर पर बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के गठन करने का उद्देश्य ग्राम व ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों का संरक्षण, उनके संर्वागीण विकास, उचीत देखभाल करने के लिए परिवारों का मार्गदर्शन व समर्थन, विभिन्न सरकारी योजनाओं को बच्चों के लिए प्रभावी बनाने तथा बाल मित्र ग्राम बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति प्रशिक्षण निर्देशिका को तैयार किया गया है। हम आशा करते है कि यह पुस्तक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को बच्चो के प्रति अपनी भूमिका निभाने में मदद करेगी।

हर बच्चे का यह अधिकार हैं की उसे सुरक्षा एवं गरिमा के साथ जीने के लिए, सुरक्षात्मक वातावरण मिले। बच्चो को विद्यालय में, सुमदाय तथा घर में हिंसा, उपेक्षा, शोषण एवं लिंग आधारित भेदभाव से संरक्षण मिलना चाहिए। बच्चे समुदाय और देश की परिसंपति है। बच्चो को स्नेह देने, उनकी देखभाल करने तथा उनके साथ सम्मान और मर्यादा का व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है। जिस बच्चे की सही रूप से देखभाल और उसका सही पालन पोषण होगा वह बच्चा अवश्य ही देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा।

संक्षेपाक्षर

पी. अल. सी. पी. सी.	ग्राम पंचायत स्तररय बाल संरक्षण समिति
सी. बी. ओ.	समुदाय आधारित संस्था
सी. डब्ल्यु. सी.	बाल कल्याण समिति
जी. पी.	ग्राम पंचायत
डी.सी.पी.यू	जिला बाल संरक्षण ईकाई
आई. सी. डी. एस.	समेकित बाल विकास सेवाऐं
आई सी. पी. एस.	समेकित बाल संरक्षण योजना
आई. ई. सी.	सूचना शिक्षा संचार
जे. जे. बी.	किशोर न्याय बोर्ड
एन. जी. ओ.	गैर-सरकारी संगठ्न
ओ. बी. सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी. एच. सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पोक्सो	यौन अपराध से बच्चो का संरक्षण कानून
एस. एच. जी.	स्वयं सहायता समूह
एस. जे. पी. यू.	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस. एम. सी.	विद्यालय प्रबंधन समिति
एस. एस. ए.	सर्व शिक्षा अभियान
यू. एन. सी. आर. सी	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज

प्रशिक्षण के उद्देश्य :

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल सरंक्षण समिति के प्रशिक्षण का मुख्य उदे्श्य समिति के सदस्यो को बाल सरंक्षण के प्रति जागरूक करते हुए समिति में उनके अधिकारों, शक्तियों ,व जिम्मेदारियों के प्रति अवगत करवाना तथा उनमें बाल सरंक्षण के लिए कार्य करने की सोच विकसीत करते हुए :–

1. ग्राम स्तरीय बाल सरंक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया व कर्तव्य को समझना।
2. समिति एवं ग्राम वासियों द्वारा बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना एवं बाल संरक्षण कार्ययोजना बनाना तथा इसे लागू करना।
3. सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
4. बाल संरक्षण से संबन्धित दस्तावेज तैयार करना एवं आगे पंचायत समिति व जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति या इकाई को भेजना ।
5. बाल संरक्षण से संबन्धित विभागों एवं अधिकरीयों से समन्वय स्थापित करना।
6. सभी गांवो को बालमित्र बनाना।
7. ग्राम व ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सुचारू निगरानि रखना।
8. बच्चों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा कर उनका निराकरण करना।

प्रशिक्षित प्रशिक्षको से अपेक्षाये :

पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की शुरूआत करने से पहले सभी प्रशिक्षक निम्नलिखित तैयारी सुनिश्चित कर ले :–

1. प्रशिक्षण से पांच दिन पूर्व सभी प्रतिभागियों को सूचित कर दें।
2. प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना व सुची बनाना।
3. प्रशिक्षण के दिन बताये समय से पहले पंहुचकर सभी तैयारीयों का जायजा लेना एवं सुनिश्चित करना कि सभी तैयारियां पुर्ण हो गई है।
4. सभी सदस्यों की जिममेदारी निर्धारित करना एवं उसे निभाना।

प्रशिक्षण के नियम :-

1. समय का ध्यान रखना।
2. प्रशिक्षण विधी का पुरा उपयोग करना एवं जरूरत के अनुसार उसमें अपने अनुभव जोड़ना।
3. प्रशिक्षण में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नही होना चाहिए।
4. सभी को बोलने का एवं अपने विचारों को रखने का बराबर मौका मिले
5. सहभागियों का आदर करना चाहिए। उन्हे एहसास कराएं कि वे विशिष्ट व्यक्ति है और उनकी पूरी देखभाल की जा रही है।
6. स्थानीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें।
7. सभी सत्रों के बाद पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करवायें।
8. प्रशिक्षण को निर्देशिका के अनुसार ही रोचक तरिके से करवाया जाये।
9. प्रशिक्षण में स्थानीय जरूरतों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
10. स्थानीय तथा जिला अधिकारियों के दूरभाष नम्बर भी सदस्यों को उपलब्ध करवायें।

परिचय सत्र

समयावधि :- 30 मिनट

संदर्भ व्यक्ति सहभागियों का स्वागत करेंगे। पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी सदस्य अपना नाम, समिति में धारित पद, गॉव का नाम और अपने गाँव की कोई खास बात यदि बताना चाहें तो बताएंगे।

ताली द्वारा परिचय :- सभी सहभागी पहले ताली बजाकर अपना परिचय देंगे तथा उसके बाद अगल - बगल वाले साथी का नाम लेकर ताली बजायेंगे, बगल वाला साथी इसी क्रम में अगले साथी का ताली बजाकर नाम बोलेगा। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलेगा जब तक सभी संभागी सहज न हो जाये।

सामुदायिक सहभागिता का महत्व

उद्देश्य :-

1. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य सामुदायिक सहभागिता का महत्व समझे।
2. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य समिति में स्वयं की भुमिका व महत्व को समझे।

आवश्यक सामग्री - पत्थर के टुकड़े, किताबें, अखबार, मार्कर, चार्ट, स्कैच पेन,सेलो टेप इत्यादि।

गतिविधि-1 पत्थरों की मीनार बनाना।

संदर्भ व्यक्ति संभागियों के 3 या 4 (आवश्यकतानुसार) समूह बनाऐंगे। सभी समूहों के सदस्यों को अपना अपना नेता चुनने को कहेंगे। समूहों के बीच 30-35 छोटे छोटे पत्थरों (किताब या अखबार भी ले सकते है।) को बिखेर देंगे। गतिविधि को तीन चरण में पूरा करना हैं।
प्रथम चरण :- समूह नेता अपने हाथ के इस्तेमाल द्वारा पत्थरों की मीनार बनाएंगा। बाकी सदस्य केवल देखेगे। समय 1 मिनट होगा । इस दौरान संदर्भ व्यक्ति सभी समूह के नेता द्वारा किए कार्य को देखेंगे। मीनार को फिर बिखेर देंगे।
द्वितिय चरण :-संदर्भ व्यक्ति समूह को अपने नेता के सहयोग के लिए एक साथी चुनने को कहे। अब नेता और उसका साथी एक हाथ द्वारा पत्थरों की मीनार बनाएंगे। बाकी नेता द्वारा किए कार्य को देखेंगे। समय 1 मिनट होगा। इस दौरान संदर्भ व्यक्ति सभी समूह के नेता द्वारा किए कार्य को देखेंगे। मीनार को फिर बिखेर देंगे।

तृतीय चरण :- इस बार समूह के सभी सदस्य नेता को सहयोग करेंगे। सभी सदस्य अपने एक हाथ से 1 मिनट में पत्थरों की मीनार बनाएंगें। इस दौरान संदर्भ व्यक्ति सभी समूहों के द्वारा किए गये कार्य को देखेंगे।

तीनों चरणों के पूरा होने के पश्चात् संदर्भ व्यक्ति समूह के साथ निम्न सवालों पर चर्चा करेंगे-

1. तीनों चरणों में क्या हुआ ? नेता व सदस्यों से उनके अनुभव पूछें।
2. तीनों चरणों में से कौन से चरण में मीनार अच्छें से बन पाई और क्यों ?

समेंकन :-

1. जिस प्रकार किसी भी कार्य को सफल सम्पादन के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बच्चों के समेकित विकास के लिए प्रत्येक सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका व भागीदारी रहती है।

बच्चे की परिभाषा

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज जो कि बाल–अधिकारों पर तैयार एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानक है जिस पर विश्व के 192 देशो ने हस्ताक्षर किये तथा उसको लागू किया है। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़का एंव लड़की बच्चे कहलाते है। अतः आपकी पंचायत क्षैत्र में आने वाले सभी बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की है।

मुख्य बिन्दु :

- 18 वर्ष से कम उम्र के लडका अथवा लडकी बालक कहलाते है।
- बचपन एक ऐसा दौर है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है।
- बचपन में बच्चे विभिन्न तरह के अनुभव करते है।
- अभद्र व्यव्हार एवं पोषण से सभी बच्चो की सुरक्षा होनी चाहिए।

बच्चो को विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यो है ?

बच्चो को व्यस्को की तुलना मैं ज्यादा खतरा रहता है।

चुकि बच्चो के कोई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि अधिकार प्राप्त नही होते व बच्चे अपने अभिभावक पर निर्भर होते है व उनके निर्णय उनके अभिभावक ही लेते है। बच्चो को आसानी से बहलाया, फुसलाया जा सकता है तथा उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे अपने साथ होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज भी नही उठा सकते इसलिये बच्चे समाज में सबसे ज्यादा प्रभावित होते है जिसके कारण उनको विशेष देखभाल की जरूरत है।

बाल अधिकार

भारत का संविधान देश की सभी जातियों, समुदायों तथा धर्मो से सम्बंधित सभी बच्चो को, चाहे वे शहर में रहते हो या गाँवों में, समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमे मुख्य रूप से ये अधिकार शामिल है।

1. जीवन जीने का अधिकार
2. संरक्षण का अधिकार
3. विकास का अधिकार
4. सहभागिता का अधिकार

इन मुख्य चार अधिकारों के अलावा बच्चों को निम्नलिखित अधिकार भी सविंधान द्वारा प्रदत है:-

- 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चो के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान (अनुच्छेद 21 अ)
- 14 वर्ष की उम्र तक बच्चो को किसी भी प्रकार के जोखिम भरे रोजगार से बचाना (अनुच्छेद 24)
- बच्चो को उनकी आयु एवं शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर करने से उनकी रक्षा करना (अनुच्छेद 39 ई)
- बच्चो को एक स्वस्थ, स्वतंत्रता एवं गरिमामय जीवन जिसमे शोषण से सुरक्षित बचपन एवं जवानी हो ऐसा वातावरण में उनका विकास होना चाहिये (अनुच्छेद 39 च)

जीवन जीने का अधिकार

भारत में निवास करने वाले हर बालक को समान रूप से जन्म लेने का, उचित देखरेख, पर्याप्त पोषण, उचित स्वास्थ्य एवं शिक्षा , सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता, मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति, पहचान, राष्ट्रीयता और नाम का अधिकार है।

गर्भधारण करने से लेकर जन्म तक बच्चे का स्वास्थ्य उसकी माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इस प्रकार शिशुओ का जन्म के बाद जीवित रहना उनके जन्म के पूर्व से लेकर दो वर्ष की आयु तक किये गए अनेक महत्वपूर्ण बातो पर निर्भर करता है। बच्चो के जीवित रहने के लिए गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। माता और नवजात शिशु के लिए बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने में परिवार का अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यदान रहता है। ग्राम पंचायत इन मुद्दों के बारे में परिवारों को जानकारी प्रदान करने तथा साथ ही टीकाकरण के साथ बेहतर चिकित्सा देखरेख सुनिश्यित करने और ग्राम पंचायत क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल और स्वछता की व्यवस्था करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में बच्चो की उत्तरजीविता तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए अन्य मुख्य स्वास्थ्य संस्थाए जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वछता और पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.), रोगी कल्याण समिति और सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र पर आशा, ए.एन.एम. आदि के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करे, इन्हें सहयोग प्रदान करे तथा साथ ही इनके कार्यकरण की निगरानी भी करे।

I. गर्भावस्था , जन्म और मृत्यु का पंजीकरण :

ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केंद्र / आंगनवाडी में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के दौरान गर्भवती महिला का पंजीकरण करती है तथा उसे माता एवं बाल सरंक्षण कार्ड (एम.सी.पी.) प्रदान करती है। जन्म और म्रत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार भारत में जन्म, म्रत्यु तथा मृत पैदा हुए बच्चो का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत सचिव अथवा स्वाथ्य केंद्र के अधिकारी को जन्म/मृत्यु के होने के 21 दिन के भीतर या उसके पश्च्यात शीघ्र ही जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करना चाहिए।
गर्भावस्था का पंजीकरण कन्या भ्रूण–हत्या पर नजर रखने के लिए उपयोगी है, जन्म का पंजीकरण बालिका हत्या तथा बाल विवाह पर नजर रखने में मदद करता है !

II. टीकाकरण :

टीकाकरण एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन को संकट में डाल देने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। टीके की दवाई शरीर में रोगप्रतिकारको अथवा ऐसे पदार्थो को उत्पन्न करने के योग्य बनाते है और इस प्रकार बच्चा बीमार होने से बच जाता है। समिति की यह जिम्मेदारी बनती है की वे टीकाकरण को लेकर सम्बंधित विभाग एवं अधिकारियों को सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा समुदाय में इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता प्रदान करे।

III. बच्चो के लिए सुरक्षित पेयजल , स्वछता और साफ-सफाई

विशेष रूप से 0–5 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चो को अस्वथ्य परिस्थितियों के फलस्वरूप प्रभावित होने का खतरा सबसे अधिक होता है तथा वे असुरक्षित पेयजल से अधिक बीमार पड़ते है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे हैजा और दस्त इस आयु वर्ग में बच्चो की म्रत्यु का प्रमुख कारण है।

पानी को पिने के लिए तभी सुरक्षित माना जाता यदि वह रंगहीन, गंधहीन, जीवाणुओं के संदूषण से मुक्त हो तथा इसमें रसायन केवल निर्धारित सीमा तक ही हो। पानी अनेक कारणों से प्रदूषित होता हे जैसे हवा में विधमान प्रदुषण–तत्व, भूमि में विधमान खनिज, मनुष्य और पशुओं का मल, मूत्र, कपडे धोने से, उर्वरको, कीटनाशको के प्रयोग से, घरों में गलत तरीके से पानी के रखरखाव तथा गंदे हाथो से साफ पानी की छुने से साफ पानी भी प्रदूषित हो जाता है !

साफ-सफाई का अर्थ है स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखने के लिए संचालित की जाने वाली प्रक्रियाये जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाश्मो को फैलने से रोकती है। इसमें व्यक्तिगत साफ-सफाई भी शामिल है जैसे नियमित रूप से नहाना, दांतों की देखभाल और हाथ धोना, साफ सुथरे कपडे पहनना।

स्वछता में शामिल हे मनुष्य और पशुओ के मल का सुरक्षित निपटान, पेयजल का सुरक्षित भण्डारण और प्रयोग, व्यर्थ द्रव्य और ढोस अपशिष्ट का आदि का सुरक्षित निपटान।

ग्राम स्वछ्ता पोषण दिवस क दौरान आंगनवाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. और आशा समुदाय को वाश (जल, स्वछता और साफ-सफाई) संबंधी जानकारियां प्रदान कर सकती है स्वच्छ भारत अभियान की निधि का प्रयोग करते हुए आंगनवाडी केंद्र में शोचालयो का निर्माण किया जा सकता हे।

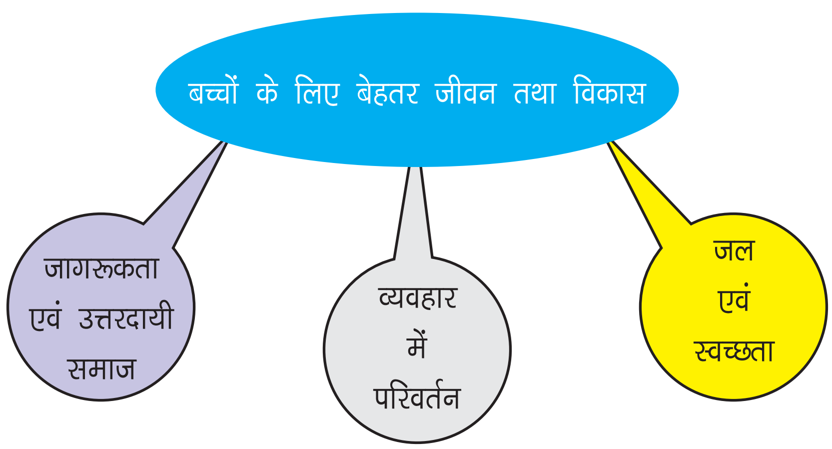

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चो का सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए पी.अल.सी.पी.सी. की भूमिका :

ग्राम पंचायत लोगो को गर्भधारण, जन्म / मृत्यु पंजीकरण तथा टीकाकरण चार्ट के अनुसार बच्चो के टीकाकरण कार्यक्रम का अनुपालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चो की मृत्यु - दर और अस्वस्थता - दर में कमी लाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। समिति विद्यालयो तथा आंगनबाड़ीयों में स्वच्छ पेयजल व् स्व्छता को सुनिश्चित कर सकती है ग्राम पंचायत इन पहलुओ के संबंध में ग्राम सभा की बैठ्को में, वार्ड सभा, महिला सभा, स्वयं सहायता समूह की बैठ्को, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर तथा आंगनवाडीयों द्वारा आयोजित किशोर / किशोरी दिवसो पर लोगो के बीच जागरुकता और जानकारी का संचार कर सकती है। समिति को यह सुनिश्चित करना होगा की भोगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रो में रहने वाले लोगो, प्रवासी लोगो आदि तक सूचना तथा सेवायें अवश्य पहुचे।

विकास का अधिकार :

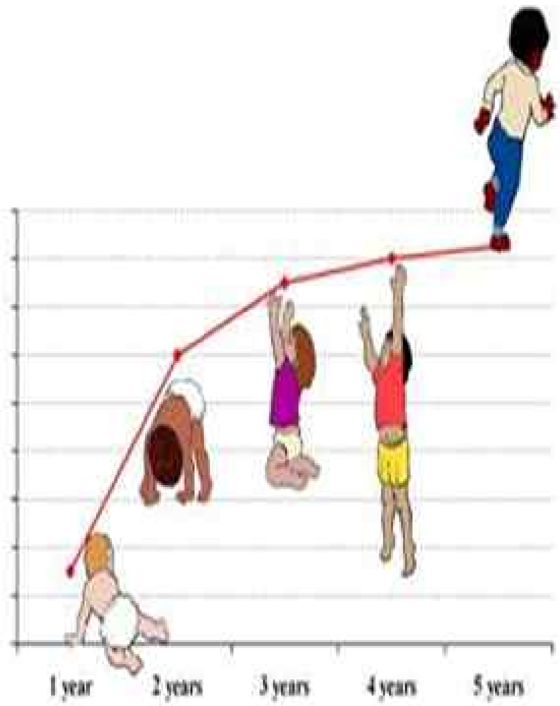

प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर तक की अनिवार्य गुणात्मक शिक्षा , खेल, आराम, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था, बाल्यावस्था में उचित देखरेख, माँ बाप का प्यार एवं पारिवारिक सहयोग, शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चो के लिए विशेष देखरेख, सांस्कृतिक व् सामाजिक विकास, मानवीय मूल्यों को बढावा, स्वच्छ पर्यावरण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारिक ज्ञान व कला कौशल का विकास। प्रत्येक बच्चे के पास उत्प्रेरणा, शिक्षा, खेल-कूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास का अधिकार है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी सर्वोतम क्षमता के अनुरूप कर सके। जैसे-जैसे बच्चो की आयु बढती जाती है, उनका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से होता है, उनमे समझने और सीखने की क्षमता का विकास होने लगता है। हम बच्चो के पोषण, स्वाथ्य और शिक्षा पर जितना अधिक ध्यान देंगे उनका उतना ही अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास होगा। आइए बच्चो के विकास के प्रमुख पहलुओं और उनमे समिति की भूमिका के बारे में जाने।

I. स्वास्थ्य और पोषण

पोषण का अर्थ है ऐसा आहार जिससे शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताओ के सन्दर्भ में उपयुक्त समझा जाता है। बेहतर पोषण तथा संतुलित आहार व साथ ही नियमित शारीरिक क्रियाकलाप बच्चे के स्वास्थ्य में विकास के प्रति योगदान करते है। बच्चो की पोषण-संबंधी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी आवश्यक है। प्रोटीन भोजन में विधमान शरीर-निर्माण तत्व के अवयव है जो विभिन्न आहारो में पाए जाते है, जैसे दालें, दूध, अंडा, मछली एवं मांस। कैलोरी हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करती है तथा यह अनाज, चीनी, वसा और तैलीय आहारो में उपलब्ध होती है। एक 18 किलोग्राम भर वाले 4 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन में 1350 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। बढती उम्र के साथ बच्चो के पोषण की आवश्यकताये भी बढती है।

बाल्यकाल के प्रारम्भिक वर्षो में अल्प-पोषण के फलस्वरुप बच्चो के विकास में गंभीर बाधाये आती है तथा यह प्रक्रिया जीवन की आगामी अवस्था में भी जारी रहती है। उदाहरण के लिए समय से पूर्व जन्मे और जन्म के समय कम वजन का बालक का विकास निरंतर धीमी गति से होता है तथा वह एक कुपोषित बालक बन जाता है। कुपोषण के कुछ अन्य कारण भी हे जैसे निर्धनता, निम्न आय, बाढ़, अकाल तथा नवजात शिशुओ ब छोटे बच्चो को माता द्वारा अपना दूध न पिलाना अथवा कम दूध पिलाना इत्यादि।

कुपोषण के निवारण के लिए प्रमुख योजनाये

कुपोषण तथा अल्प पोषण के निवारण के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम व योजनाये चलायी जा रही है। जिनमे मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाये है :

योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्षित	प्रदान किये जाने वाले लाभ
समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई. सी. डी. एस.)	गर्भवती और दुध पिलाने वाली माताऐं और 6 साल तक की आयु के बच्चें।	1. आयरन व फोलिक एसिड की गोलिया 2. घर ले जाने के लिए राशन 3. स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा
इंदिरा गाँधी मातृत्व सहायोग योजना (आईजीएमएसवाय)	भुगतान सहित मातृत्व अवकाश प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलायें।	बच्चे के प्रसव के दौरान वेतन-नुकसान के लिए आंशिक मुआवजे के तौर पर पहले दो जीवित जन्मो बच्चे की देखभाल और सुरक्षित प्रसव व अच्छा पोषण और आहार प्रथाओं के लिए उचित स्थितियां प्रदान करने के लिए 3000 रूपये की नगद सहायता।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसउसके)	अस्पताल में प्रसव करवाने वाली महिलाए और एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशु	1. निःशुल्क व मुफ्त उपचार 2. निःशुल्क दवाए, निदान व आहार 3. रक्त का निःशुल्क प्रावधान 4. स्वास्थ्य संसाधनों के लिए घर से निःशुल्क परिवहन और उपयोगकर्ता को सभी प्रकार के शुल्कों से छूट
विद्यालयों में निःशुल्क भोजन	स्कूल जाने वाले बच्चे (6 से 14 वर्ष)	1. निधारित मानदंडो के अनुसार मध्यान भोजन। 2. स्कूलों में आयरन और फोलिक एसिड तथा कृमि नाशक गोलियां।
किशोरी शक्ति योजना	किशोरियां	स्कूलों में आयरन और फोलिक एसिड तथा कृमि नाशक गोलियां।
पोषाहार पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) और कुपोषण उपचार केन्द्र (एमटीसी)	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे	1. 14 दिन के लिए आहार चिकित्सा के साथ रोगी का इलाज। 2. भोजन और देखभाल प्रथाओं पर माताओं को परामर्श।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	अन्मयोदय व प्राथमिक वाले परिवार	कम रियायती दरों पर राशन जैसे चीनी, चावल व अनाज।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चो का विकास सुनिश्चित करने में पी.अल.सी.पी.सी. की भूमिका :

ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बच्चो को उनके विकास के लिए समस्त अवसर प्राप्त हो इसके लिए पी.अल.सी.पी.सी. को एक निर्णायक भूमिका निभानी होगी। इसके लिए समुदाय में जागरूकता लाना पहला कदम होगा। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति, एएनएम, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा आदि को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अल्प-पोषित बच्चो का पता लगाने के लिए गाँवों का सर्वेक्षण करवा सकती है तथा उसके अनुसार ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार कर सकती है।

- पी.अल.सी.पी.सी.के सदस्य वीएचएसएनसी तथा आंगनवाडी स्तरीय अनुवीक्षण और सहायता समिति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओ तथा बच्चो को आंगनवाडी में पर्याप्त पोषण प्राप्त हो आंगनवाडी में साप्ताहिक आयरन एंड फोलिक सप्लीमेंटेशन के वितरण को आशा / आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता से सुद्रढ़ किया जाना चाहिए।
- पी.अल.सी.पी.सी. विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक शिक्षक संघ की सहायता भी प्राप्त कर सकती है।
- पी.अल.सी.पी.सी. के सदस्य जिनमे से एक सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष है अतः वे यह सुनिश्चित करे की विद्यालयो में मध्याहन भोजन के माप व उसकी गुणवत्ता की जाँच करनी चाहिए और आवश्यक मुद्दों को विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठको में भी उठाना चाहिए।
- समिति समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा आंगनवाडी विद्यालय के कर्मचारियों, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्वयं सहायता समूह आदि के प्रशिक्षण सम्बंधित विभाग से संपर्क कर सकते है। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चो / किशोरों के साथ कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनो के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

गतिविधि 2 :-जब करेंगे तब होगा।

संदर्भ व्यक्ति सभी सदस्यों के साथ इस गतिविधि को आयोजित करेंगे। एक पैन को सीधा खडा किया जाएगा। इसके सहारे हेतु पुस्तकों या अन्य सामग्री की भी मदद ली जा सकती है। अब सभी को सहभागियों से कहेंगे कि पैन को फूंक मारकर गिराइये। सभी संभागी एक साथ फूंक मारेंगे। लेकिन पैन नही गिरेगा।अब सहभागियों से कहेंगे कि सभी ताली बजाकर गिराइये । सभी ताली बजाकर पैन गिराने का प्रयास करेंगे। फिर भी पैन नही गिरेगा। फिर सभी को बोलेगे कि आखें बन्द करके पूरी इच्छा से यह कामना करे कि पैन गिर जाए। सभी आखें बन्द करके पूरी इच्छा से यह कामना करते है कि पैन गिर जाए। फिर भी पैन नही गिरेगा। अब किसी एक सहभागी से कहेंगे कि वह उठकर जाए और पैन गिरायें एक सहभागी उठकर जाएगा और पैन गिरा देगा। गतिविधि के पूरा होने के पश्चात संदर्भ व्यक्ति निम्न बिन्दुओं के आधार पर समूह के साथ चर्चा करेंगे'-

. इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ ?

. पैन कैसे गिरा ?

. इस गतिविधि से हमें क्या समझ आया ?

समेंकन :-

. संदर्भ व्यक्ति इस प्रकार से सम्बोधित करें कि जो भी कार्य होता है वह कुछ करने से ही होता है, सिर्फ उनके बारे में बातें करने या सोचने से नही।

. ग्राम स्तर पर सभी बच्चों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो पायेगी जब बाल संरक्षण समिति के सदस्य अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी रखते हुए उनका पालन करेंगे।

कोई भी ऐसी गतिविधि जो, समुदाय स्वयं या अपनी किसी संस्था के माध्यम से करता है, लेकिन उसके नियोजन , क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का कार्य समुदाय द्वारा स्वयं सक्रियता के साथ किया जाता है उसे सामुदायिक गतिशीलता कहते हैं। सामुदायिक गतिशीलता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है जैसे :- स्वास्थ्य, पर्यावरण , शिक्षा। सामुदायिक गतिशीलता का उद्देश्य जन सामान्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

संरक्षण का अधिकार

घर, विद्यालय अथवा अन्यत्र कही भी बच्चो के साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा, शोषण, दुराचार, परित्याग, आभाव एवं दुर्वयवहार से बच्चो की रक्षा करना एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ही बाल सरक्षण कहलाता है। बाल संरक्षण में बच्चो को ऐसी स्थिति से सहायता व् पुनर्वास करना भी शामिल हे जब वह किसी असुरक्षित स्थिति का शिकार बन गये हो।

बाल सरक्षण के तीन मुख्य पहलु हैः पहला ऐसा वातावरण निर्माण करना जिसमे कोई भी बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या अन्य किसी तरीके से शोषण के साथ दुर्वयवहार तथा उपेक्षा का शिकार ना हो। दूसरा बच्चो के लिए बाल मैत्री, सकारात्मक एवं सक्रीय ढांचों और प्रक्रियाओ सहित एक सुरक्षात्मक एवं अनुकूल माहौल बने। तीसरा यह सुनिँचित करना की एक समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र स्थापित करते हुए बच्चो की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अधिकारों का हनन होने पर तुरंत आवश्यक कार्यवाही करे।

इस तरह ये तीनो पहलु साथ में बाल संरक्षण सुनिश्चित करते है। समेकित बाल सरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अनुसार बचपन में किसी कथित या वास्तविक खतरे या जोखिम से बच्चो की सुरक्षा करना ही बाल सरंक्षण है।

कुछ जोखिमपूर्ण स्थितियां जिनसे बच्चो को बचाने / संरक्षण की जरूरत है।

1. बालश्रम :

बालश्रम का अर्थ हे पैसा कमाने के उदेश्य से बच्चे को किसी ऐसे काम में लगाना जो उन्हें उनकी बाल्यावस्था से वंचित करता है, उनको विद्यालय जाने से रोकता तथा बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उसके विकास के लिए भी खतरनाक हों। बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार किसी भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय में 14 वर्ष से कम के बच्चो को रोजगार का प्रतिषेध करता है तथा 14-18 वर्ष तक बच्चो के लिए विभिन्न कार्य-परिस्थितियों को विनियमित करता है।

बालश्रम के कुप्रभाव :

अनेक बच्चे प्रायः कृषि क्रियाकलापों में, ढाबो में और घरेलु नौकरों के रूप में कार्य करते है जहा पर वे हिंसा व यौन हिंसा का शिकार बन जाते है। उनका विद्यालय जाना छुट जाता है। बाल मजदूरी का एक और नुकसान यह है की जो बाल मजदूरी करवाता है वह बच्चो को कम पैसे देकर काम पर रखता हे जिससे जो बड़े काम करने वाले होते है उनको रोजगार नहीं मिल पता है अतः इस से बेरोजगारी की समस्या बढती है।

2. बाल विवाह

बाल विवाह का अर्थ हे ऐसा विवाह जो किसी व्यक्ति के व्यस्क होने से पूर्व किया जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बालिकाओ का 18 वर्ष तथा बालको का 21 वर्ष से पूर्व विवाह गैर-कानूनी माना जाता है हमारे देश में बालिका वधुओ की संख्या सबसे अधिक है लडकियों को पराया धन माना जाता है उनसे जिन मुख्य भूमिकाओ को निभाने की अपेक्षा की जाती है वे है - बच्चो को जन्म देना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना तथा घर के सभी कार्य करना मगर ऐसा नहीं हे अगर बालिकाओ को पूरा अवसर दिया जाये तो वे बहुत आगे निकल सकती हे उदाहरण के लिये कल्पना चावला, किरण बेदी, इन्दिरा गाँधी आदि कई ऐसी महिलाये हे जिन्होंने खुद को साबित कर दिखाया है।

बाल विवाह के कुप्रभाव :

बाल विवाह छोटी बालिकाओ को ऐसी आयु में उनके माता-पिता और परिवार से अलग कर देता हे जब उन्हें अपने बेहतर विकास के लिए उनकी ज्यादा जरूरत होती है। बाल विवाह के कारण यौन संबंध भी छोटी आयु में ही स्थापित हो जाते है जिसकी वजह से कम आयु में माँ बन जाती है उस वजह से होने वाला बच्चा कुपोषित होने का खतरा रहता है।

3. बाल यौन उत्पीडन :

किसी व्यस्क व्यक्ति अथवा शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के लिए किसी बच्चे का उत्पीडन करना। इसकी रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधो से बच्चो का सरंक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे के विरुद्ध हुए यौन-उत्पीडन के मामलो की पुलिस को सुचना दिया जाना अनिवार्य है। सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यों को भी इस तरह की सुचना देना अनिवार्य है।

4. शारीरिक दण्ड :

किसी भी रूप में शारीरिक दंड, जिसमे माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक आदि द्वारा मारपीट शामिल है। भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तथा ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है शिक्षको को कारावास तथा जुर्माना हो सकता है तथा उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है।

5. अवैध व्यापार के शिकार तथा गुमशुदा बच्चे :

अवैध व्यापर का शिकार वह बच्चा है जो 18 वर्ष से कम आयु का हे, जिसे देश के भीतर अथवा बाहर शोषण के प्रयोजन के लिए रोजगार पर नियुक्त किया जाता है। भारत में अनैतिक व्यापर निवारण अधिनियम, 1956 में पारित किया गया जिसका उद्देश्य महिलाओ और बच्चो के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है।

कुछ बच्चे उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं भोगोलिक स्तिथि के कारण दुसरे बच्चो की तुलना में ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है तथा उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ये बच्चे इस प्रकार है :

- बेघर बच्चे (फूटपाथ पे रहने वले, विस्थापित / बेदखल, शरणार्थी आदि)
- प्रवासी बच्चे
- गली में रहने वाले बच्चे
- अनाथ / छाड़े जा चुके बच्चे
- काम करने वाले बच्चे
- वैश्याओ के बच्चे
- बाल वैश्याये
- बच्चो का अवैध व्यापार
- संघर्ष से प्रभावित बच्चे
- प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित बच्चे
- एचआईवीध्एडस से प्रभावित बच्चे
- टर्मिनल बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है
- विकलांग बच्चे
- अनुसूचित जातियों व् जनजातियो के बच्चे

बच्चो की उपेक्षा एवं शोषण से जुड़े कुछ भ्रम :

1. **बच्चो का शोषण कभी नहीं किया जाता. समाज बच्चो से बहुत प्यार करता है।**

   हाँ यह सत्य हे की हम अपने बच्चो से बहुत प्यार करते हे लेकिन अभी भी कुछ कमी हे भारत में विश्व के सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हे, सबसे ज्यादा बच्चो के साथ शोषण होता हे तथा 0–6 आयु वर्ग में महिलाओं का अनुपात पुरुषो की तुलना में बहुत कम है इससे पता चलता हे की भारत में बालिकाओ का अस्तित्व खतरे में है कभी–कभी बच्चो को बेच दिया जाता हे या मार दिया जाता हे क्योंकी वो लड़की है।

   बच्चो से खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण भी एक घिनोनी कहानी पेश करता हे यहाँ तक की सरकारी आकड़ो के हिसाब से 2002 से 2003 के बीच बच्चो के खिलाफ दर्ज होने वाले केसों में 11.1% की वृदी हुई है।

2. घर बच्चो के लिए सबसे सुरक्षित जगह है :

माता-पिता बच्चो को अपनी जागिर समझते हे हर दुसरे दिन हम देखते हे की कोई पिता अपनी ही बेटी को सिर्फ पैसो के लिए बेच देता हे ऐसे भी कई मामले सामने आये हे जो की न्यूज एवं अदालत में भी साबित हुए हे की कई पिता खुद अपनी बेटी का बलात्कार करते हे. कन्या भ्रूण हत्या, देवी-देवताओ के लिए बच्चो की बलि, बच्चो पर हिंसा आदि मामलो से पता चलता हे की बेटिया अपने ही घर में कितनीअसुरक्षित हे.

3. लडको की चिंता करने की जरूरत नहीं हे वे तो वेसे भी सुरक्षित है

लड़के भी उतने ही असुरक्षित हे जितने की लडकिया. लडको को घर पर तथा विधालय में शारीरिक एवं मानसिक दंड के शिकार होते हे उनको कई बार मजदूरी करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है या बेच दिया जाता है जहा उनके साथ यौन शोषण होने का खतरा रहता है

4. ऐसा हमारे गाँव में तो नहीं होता :

हम में से सभी यह सोचते हे की बच्चो का शोषण, हिंसा, अत्याचार, उपेक्षा आदि कही ओर जगह होता होगा हमारे घर या गाँव या समाज में ऐसा नहीं होता. ये सब चीजे दुसरे बच्चो को प्रभावित करती होगी हमारे बच्चो को नहीं. जबकि वास्तविकता यह हे की बच्चो के साथ होने वाले ये सभी दुर्व्यवहार हमारे आस पास भी होते हे हम बस उसको महसूस नहीं कर पाते हे. जरूरत हे की हम उसको समझे तथा बच्चो की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाये

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चो का सरंक्षण सुनिश्यित करने क लिए पी.एल.सी.पी.सी. की भूमिका:

- बालश्रम निवारण के लिए पी.एल.सी.पी.सी. की भूमिका :
- बाल मजदूरी करने वाले परिवारों व बाल मजदूरी कर रहे बच्चो की पहचान कर उनको बाल मजदूरी से हटाना तथा ऐसे परिवारों को मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का कार्य अवश्य प्रदान करवाना तथा पात्र लाभार्थियों को सम्बंधित सरकारी योजना से जोड़ना।
- जोखिमपूर्ण कार्य परिस्थितियों से बच्चो को सुरक्षित करना।
- समिति की उन परिवारों पर भी ध्यान देना चाहिए जो वर्ष के कुछ महीने मजदूरी के लिए गाँव से बाहर जाते है।
- विद्यालय ना जाने वाले बच्चो को प्रधानाध्यापक के साथ समन्वय स्थापित कर पुनः विधालय में दाखिला दिलाना।

- बाल विवाह से बच्चो का सरंक्षण :
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए समस्त जन्मों का पंजीकरण, जो बाल विवाह के मामले में विवाह की आयु का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है।
- समिति को वर्ष की विशिष्ट अवधियो के दौरान बाल विवाह के आयोजनों के बारे में सतर्क रहना चाहिए जैसे राजस्थान में अक्षय तृतीया के दौरान बड़े पैमाने पर बाल विवाह आयोजित किये जाते है। समिति विवाह योग्य बच्चो पर निगरानी रख सकती हे तथा ऐसा होने पर प्रशासन के साथ मिलकर माता-पिता को पाबंध कर सकती है।
- विद्यालय के शिक्षको को इस बात पर नजर रखने के लिए संवेदनशील बनाये की जैसे ही कोई बच्चा स्कूल से नियमित अनुपस्थित रहे तो तुरंत समिति के साथ मिलकर उसकी जाँच करे !

इसी तरह से बच्चो को अन्य खतरों, यौन उत्पीडन, शारीरिक दण्ड, अवैध व्यापर आदि से भी बचाया जा सकता है

आवश्यकता एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए भारत सरकार की 24 घंटे की निशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। कोई भी व्यस्क या बच्चा मुसिबत में फंसे बच्चे को बचाने के लिए शुल्क रहित नंबर 1098 डायल कर सकता है। चाइल्ड लाईन न केवल बच्चों की आपातकालिन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखरेख और पुनर्वास के लिए उन्हे उपयुक्त सेवाओं से भी जोड़ती है।

सहभागिता का अधिकार

बच्चो को समान व स्वतंत्र रूप से अपने विचारो को अभिव्यक्त करने, किसी भी तरह की कानूनी जानकारी जानने, बच्चो के विचारो तथा विवेक के प्रति आदर, किसी भी धर्म की मान्यता, संगठन व शांतिपूर्ण सभाए, सांस्कृतिक गतिविधियों व कलाओ में समान रूप से सहभागिता अधिकार तथा सुचना का अधिकार प्राप्त है। बाल सहभागिता का अधिकार का मतलब हे कि बच्चे तथा किशोर उनसे सम्बंधित क्रियाकलापों, प्रतिक्रियाओ और निर्णयों में भाग ले तथा तथा उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप इन्हें संचालित किया जाये बच्चो के पास अपने विचारो को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार और क्षमता है व्यस्को का यह कर्तव्य हे की वे उनके विचारो को सुने तथा परिवार, विधालय और समुदाय में उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलो में उनकी प्रतिभागिता को मजबूत बनाए।

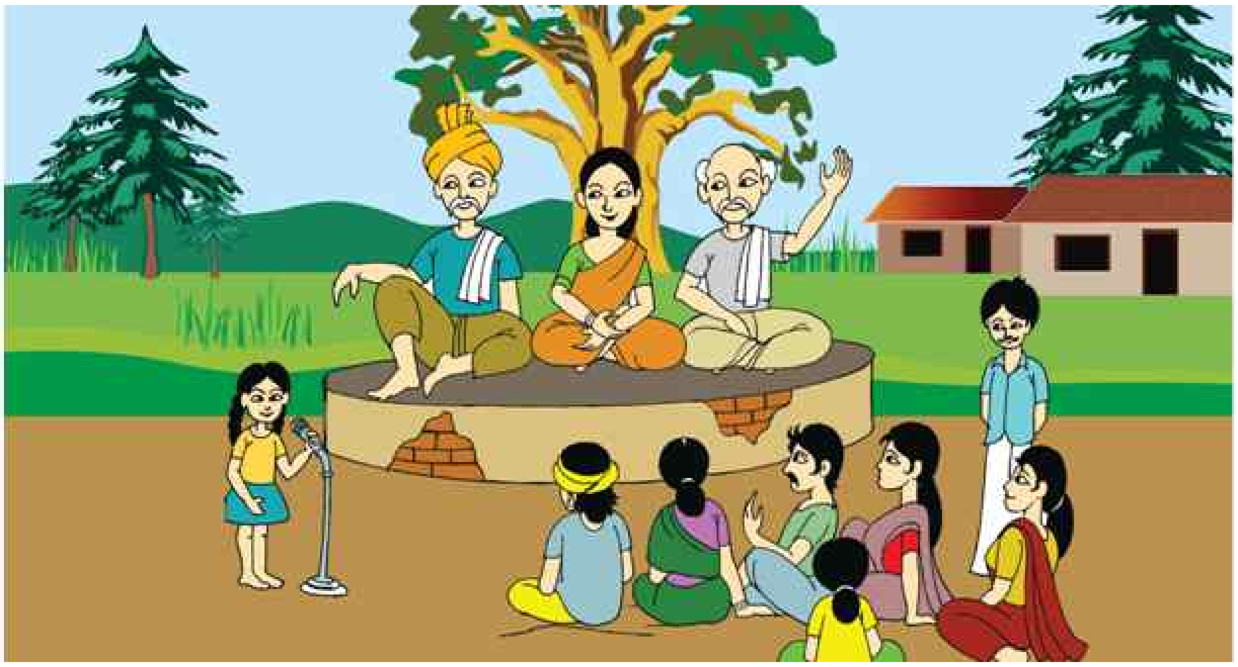

भागीदारी के मुद्दे :

प्रायः वयस्क लोग यह सोचते हे कि बच्चे सहभागिता नहीं कर सकते है वे सोचते हे कि :-

- बच्चे अपरिपक्व है
- बच्चो को यह नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए
- बच्चो का दुष्टिकोण व्यावहरिक नहीं होता
- बच्चे कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते
- बच्चे किसी कार्य को नहीं कर पायेगे या ये काम उनसे नहीं होगा या ये काम तो हम बड़ो का है इसमें बच्चो का क्या काम है।

प्रमुख कारण जो बच्चो की भागीदारी और उनकी पसंद को प्रभावित करते है :

- गरीबी
- जाति और धर्म
- लिंग
- शारिरिक व मानसिक विकलांगता
- बच्चे की संवेदनात्मक स्थिति
- अन्य कारण

क्या आपने नहीं देखा है :

- छोटे बच्चे विधालय के वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन कर रहे है ?
- बच्चे सामाजिक मुद्दो के बारे में स्पस्ट रूप से बात कर रहे है ?

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के एक जागरूक सदस्य होने के साथ आप जो भी कार्य करते हे तब कभी आपको यह महसूस हुआ होगा की यदि आपको आपकी बाल अवस्था में अधिक प्रतिभागिता का अवसर मिला होता तो आप आज की तुलना में एक बेहतर नेता, एक बेहतर आयोजक या कुछ और अच्छा बन पाते।

बच्चो की क्षमताओ का उपयोग तभी किया जा सकता हे जब उन्हें भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हो।

बच्चो की सहभागिता निम्नलिखित प्रकार से सहायता करती है :

- विद्यालयो, आंगनवाडीयों और पंचायतो से मिलने वाली सेवाओ में सुधार लेन के लिए ।
- बच्चो के ज्ञान, व्यक्तित्व और सामाजिक कौशलो का निर्माण करती है तथा नागरिकता और निर्णय लेने के प्रति सकारात्मक अभिवृति तैयार करती है।
- उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है।
- बच्चो के लिए एक सुरक्षित स्थान का निर्माण करती है तथा संकटो के संभावित शिकार बच्चो के विरुद्ध भेदभाव को कम करती है।
- अपने सहयोगियों के निर्णयों के प्रति अधिक सम्मान की भावना का निर्माण करती है ! बच्चे यह समझने लगते है की उनसे बड़े लोगो ने कोई निर्णय क्यों किया ।

बच्चो की सहभागिता के विभिन्न मंच

विद्यालय ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से बच्चो के विकास संबंधी आवश्कताओ की पूर्ति करती है तथा उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती है

विद्यालय क्लब:

विधालय क्लबो में छात्र शामिल होते हे तथा शिक्षक उनके परामर्श सदस्य अथवा सरंक्षक होते हे ये क्लब कला, विज्ञान, साहित्यिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रो से समबन्धित होते है बच्चे अपने मन पसंद क्रियाकलापों को करने के लिए इसमें शामिल होते हे इसके फलस्वरूप विधालय में बच्चो की विभिन्न क्रियाकलापों में संवर्धित प्रतिभागिता सुनिश्यित करते है

विद्यालय संसद/बाल समूह

अनेक विद्यालयो में विद्यालय संसद अथवा छात्र समूह होती हे जो विधालय के छात्रों का निर्वाचित निकाय है विद्यालय सांसदों के माध्यम से बच्चो में नेतृत्व, प्रतिभागिता, निर्णय लेना और कौशलो को सीखते हे यह बच्चो को लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा प्रक्रिया को समझने में मदद करती है।

बाल ग्राम सभा

बाल ग्राम सभा का उद्देश्य ग्राम पंचायत की स्थानीय आयोजना प्रक्रिया में बच्चो की लोकतान्त्रिक भागीदारी को सुद्रड़ बनाना है बाल ग्राम सभा 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चो का वार्ड स्तरीय समूह होता हे जिसका मुख्य उदेश्य बाल विकास होता है ऐसे मंच सभी जाति व धर्मो के बच्चो के लिए समान रूप से खुले होते हे।

पी.अल.सी.पी.सी. में सहभागिता

पी.अल.सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार समिति में दो बाल प्रतिनिधि होते है जिनमे 14 वर्ष से ऊपर का एक बाल व एक बालिका शामिल हते है

बच्चो की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समिति की भूमिका

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चो की प्रतिभागिता को बढाने के लिए समिति निम्नलिखित कदम उठा सकती हे

- पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी गाँवों में नियमित बाल ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्यित करना तथा उनमे आये मुद्दो पर गंभीरता से विचार करना
- समिति के सदस्य मिलकर यह सुनिशियत करे की गाँव में बच्चो के खेलने के लिये उधान, मैदान आदि की समुचित व्यवस्था हो !
- पंचायत स्तर पर बच्चो के अनेक विशेष दिवसों जैसे बाल दिवस, बालश्रम निषेध दिवस,अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आदि को मनाया जाये।

इनके अलावा भारत का नागरिक होने के नाते उनको दुसरे नागरिको की भाँती कुछ और अधिकार भी प्राप्त हे जो इस प्रकार है :

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)
- व्यतिगत स्वतंत्रता एवं कानून की प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद 21).
- तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने से सुरक्षा का अधिकार. (अनुच्छेद 23)
- समज के कमजोर वर्गो को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 46).

भारत के सविंधान द्वारा सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि वे आवश्यक रूप से

- महिलाओ एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे (अनुच्छेद 15 (3)).
- अल्पसंख्यको के हितो की रक्षा (अनुच्छेद 29).
- समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक हितो को बढावा देना (अनुच्छेद 46)
- लोगो के पोषण, स्वाथ्य स्तर एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करना (अनुच्छेद 47).

भारत के संविधान के अलावा भी कई ऐसे कानून हे जो मुख्य रूप से बच्चो के लिए हे. अतः समिति के एक जागरूक सदस्य होने के नाते आपको उनके महत्व के बारे में पता होना चाहिए. इस मार्गदर्शिका के साथ में विभिन्न वर्गों में उनका उल्लेख किया गया है.

गतिविधि 3 :

संदर्भ व्यक्ति सभी सदस्यों से मकान बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करें जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों की सहायता ली जाती हैं।

. यदि हमें मकान बनवाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे

संभावित उत्तर :– मकान का नक्शा बनाना, बजट बनाना, बनाने वाले व्यक्ति का चयन करना और सामग्री की व्यवस्था करना इत्यादि।

. मकान बनाते समय आप क्या करेंगे ?

संभावित उत्तर :–काम समय पर व सही प्रकार से हो रहा है नहीं इस बात की देखे–रेख करेंगे, मजदूरों द्वारा किए जा रहे कार्यो पर नजर रखेंगे, आवश्यक सामग्री की उपयोगिता व उपलब्धता को देखेंगे।

. मकान बनने के पश्चात् आप क्या करेंगे ?

संभावित उत्तर :– मकान सही प्रकार से बना है या नहीं बना यह सुनिश्चित करेगे व उसके पश्चाात् भुगतान करेंगे।

आप मकान बनाने के कार्य में इतनी रुचि दिखाते है क्योंकि इसमें सीधे आपके हित जुड़े है। इसी प्रकार यदि गांव में बच्चों के हितो की रक्षा की जाये तथा बच्चों के अधिकारों का हनन न हो तो इसमें भी गांव का व समुदाय का सीधा सीधा लाभ है क्योकि बच्चे जितने सुरक्षित वातावरण में रहेंगे उतने ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे तथा अच्छे नागरिक बनकर देश व समाज की सेवा करेंगे। यह सत्य है कि चाहे कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न बनायी जाए जब तक उसमें समुदाय की सकारात्मक भागीदारी नहीं होगी, तब तक वह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है तथा उन्हे उचित शक्तियां दी गई है ताकि समितियां अपने गांव की बेहतरी के लिए स्वयं योजना बना सकें, लागू कर सके और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

निष्कर्ष :– सहभागियो में बच्चों के विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर एक प्रारम्भिक समझ विकसित हो पाएगी तथा वे बाल मैत्री गांव के विकास एवं बच्चों के संरक्षण में अपने को एक हितभागी के रूप में समझे।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति : एक परिचय

राज्य सरकार द्वारा बच्चो की देखभाल एवं सरंक्षण के लिए किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल सरंक्षण योजना का क्रियावान किया जा रहा है। समेकित बाल सरंक्षण योजना के अंतर्गत देखरेख एवं सरंक्षण की आवश्कता की श्रेणी में आने बच्चो का सर्वोतम हित सुनिश्चित करने, बाल अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिशित करते हुए विभिन्न कार्यकर्मो एवं योजनाओ पर सतत निगरानी रखने एवं उनमे गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यक अनुशंषा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति कानूनी प्रावधान

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल सरंक्षण योजना के तहत विभिन्न स्तरों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन का प्रावधान है। इसलिए पीएलसीपीसी, आईसीपीएस के तहत राज्य सरकार द्वारा एक पहल माना जाता है।

सरकार द्वारा ऐसी समितियों का गठन अधिसूचना का माध्यम से किया जाता है। यह एक ऐसी समिति है जिसमे समुदाय के लोगो की, सरकारी विभागों का समर्थन, विद्यालयो एवं बालको की भागीदारी सुनिशित करती है जिससे समिति की प्रभावी क्षमता, सामाजिक एवं नैतिक प्रतिबधता का पता चलता है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के उद्देश्य

पीएलसीपीसी के गठन का मुख्य उद्देश्य गाँव व समुदाय में बच्चो के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करना है साथ ही समिति अपने क्षेत्र में बाल सरंक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वन सुनिशित करने हेतु निम्नानुसार उतरदायी एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी :-

अ. समिति ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाल सरंक्षण से जुड़े कार्यकर्मो के प्रभावी क्रियान्वन, समन्वय, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधार के लिए कार्य करेगी।

ब. समिति द्वारा देखभाल एवं सरंक्षण की आवश्कता वाले बच्चो के चिन्हीकरण, बच्चो हेतु मोजूद संस्थाओ/ गृहो/ विद्यालयो / आंगनवाडी केन्द्रों का सतत् निरिक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु कार्य करेगी।

स. बच्चो के सरंक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओ का लाभ बच्चो को दिलवाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रयास करेगी।

दृ स्थानीय स्तर पर बच्चो के साथ होने वाले दुर्वयवहार, शोषण, हिंसा एवं उपेक्षा से सम्बंधित मुद्दों पर उनके सुरक्षा एवं अधिकारों के सरंक्षण हेतु निर्णय लेते हुए सम्बंधित संस्थाओ (बाल संरक्षण समिति विशेष किशोर पुलिस ईकाई) तक मामलो को पहुचायेगी एवं उनका फॉलोअप करेगी।

य. समिति बाल अधिकारों के बारे में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए बाल मैत्री ग्राम का निर्माण करेगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन एवं मजबूतीकरण

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का कवरेज

एक पीएलसीपीसी आदर्श रूप से हर ग्राम पंचायत पे बनती हे तथा उस पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी राजस्व गाँव पीएलसीपीसी का कार्यक्षेत्र होता है। अतः यह कह सकते हे की सम्बंधित पंचायत में 18 वर्ष तक की आयु के सभी बालक एवं बालिकाओ की सुरक्षा की जिम्मेदारी पीएलसीपीसी का कार्यक्षेत्र हे.

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन

समेकित बाल सरंक्षण योजना के अंतर्गत देखरेख एवं सरंक्षण की आवश्कता की श्रेणी में आने बच्चो का सर्वोतम हित सुनिश्चित करने, बाल अधिकारों के उल्लंगन की रोकथाम एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिशित करते हुए विभिन्न कार्यकर्मो एवं योजनाओ पर सतत निगरानी रखने एवं उनमे गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यक अनुशंषा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। अतः यह एक समुदाय आधारित सरकारी तंत्र है जिसका गठन गाँव स्तर पर बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तरिय बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी

क्र.स.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1	संरपंच, ग्राम पचायत	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सचिव
3	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य
5	बाल कल्याण अधिकारी, संबन्धित पुलिस थाना	सदस्य
6	जिला बाल संरक्षण ईकाई का सदस्य (सहा. निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नोमित)	सदस्य
7	ए. एन. एम. ग्राम पंचायत	सदस्य
8	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9	अध्यक्ष संम्बन्धित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य
10	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका) प्रधानाध्यापक द्वारा नोमित	सदस्य
11	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक (कम से कम एक महिला)	सदस्य

नोट :

1. समिति में समुदाय के दो सम्मानित सदस्य नागरिको का चयन सम्बंधित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की रूपरेखा में बिंदु संख्या 10 में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियो के सम्बन्ध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्यनरत दो विधार्थियो का चयन किया जायेगा।

समिति में पधाधिकारी एवं उनकी जिम्मेदरियाँ
अध्यक्ष की जिम्मेदारीया

I. समिति को नेतृत्व प्रदान करना।
II. समिति के लिए प्रवक्ता के रूप में कार्य करना।
III. यह सुनिशित करना की समिति की बैठके हर महीने निरंतर होती रहे।
IV. बाल संरक्षण के अन्य तंत्र जैसे पीआरआई, सीपीसी, सरकारी अधिकारी आदि से संपर्क बनाये रखना।
V. पंचायत के लिए बाल सरंक्षण वार्षिक योजना तैयार करना।
VI. समिति द्वारा अनुमोदित बाल सरंक्षण गतिविधियों एवं कार्यकर्मो के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना एवं समय पर उन संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिशित करना.
VII. आवश्यकता अनुसार सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनो के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

सचिव की जिम्मेदारी

I. अध्यक्ष को सभी कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
II. सभी सदस्यों को प्रस्तावित एजेंडे की एक प्रति के साथ-साथ प्रत्येक बैठक का नोटिस जारी करना।
III. प्रत्येक बैठक का उपस्थिति का दस्तावेज एवं ब्यौरा बनाना।
IV. समिति की तरफ से सभी सम्बंधित विभाग एवं अधिकारियो को आवश्यक पत्र एवं प्रतिवेदन भेजना।
V. समिति द्वारा किये गए किसी भी प्रकार के खर्चो के बिलो को स्वीकृत करना।
VI. समिति की हर प्रकार की रिपोर्टिंग एवं प्रेलेखन करना।

सदस्यों की जिम्मेदारियां

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समुदाय में बच्चो के लिए सुरक्षात्मक वातावरण बनाने में समिति के सदस्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है

I. सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी रहेगी की वे सभी बैठको में नियमित रूप से हिस्सा ले तथा बैठक में होने वाली चर्चा एवं विचार विमर्श में सक्रीय रूप से हिस्सा ले।
II. वह समिति के नियमो का पालन करें।
III. वह निश्चित तौर से बाल संरक्षण आचार संहिता का पालन करें तथा इसका उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करें।
IV. वह सक्रीय रूप से समिति की जागरूकता बढाने तथा अन्य गतिविधियों में भाग ले।
V. वह समिति द्वारा दी सौपी गयी जिम्मेदारियों का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करे।
VI. सदस्य स्वयं अपने घर तथा समुदाय में ऐसे उदाहरणपेश करे जिनमे बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।
VII. वह बाल-विवाह, कन्या भ्रुण हत्या, बाल श्रम, बच्चो के साथ अभद्रता, बाल उत्पीडन शारीरिक दंड, जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव आदि घटनाओ में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं हो अपितु इनको रोकने के लिए प्रयास करे ।
VIII. वह समुदाय में बच्चो पर सीधे तौर से निगरानी रखता हे तथा स्वयं अथवा समिति के माध्यम से उपर्युक्त अधिकारी एवं विभाग को रिपोर्ट करे।

हालाकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समिति के हर सहभागी की ऊपर लिखी गयी सभी जिम्मेदारिया है ।

मीटिंग एवं कोरम

समिति प्रत्येक माह में अपनी बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की प्रति अनिवार्यता से जिला बाल संरक्षण इकाई / पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करेगी।

प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्तिथि में किये गए निर्णय ही वैध व मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गए कार्यो का अनुमोदन (पूर्व/पश्चात) किया जाना आवश्यक है।

दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्ट लेखन

किसी भी प्रशिक्षण या बैठक में दस्तावेजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर दस्तावेजीकरण सही तरीके से तथा जिम्मेदारी से नहीं किया जायेगा तो वह बैठक या प्रशिक्षण लम्बे समय तक लाभदायक नहीं रहती. अतः समिति अध्यक्ष सूत्रधार तथा अन्य सदस्यों की मदद से दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन की जिम्मेदारी किसी सक्षम सदस्य दे दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखत मुख्य दस्तावेज एवं प्रतिवेदन तैयार किये जा सकते है :

- बैठक ब्यौरा : हर एक बैठक के मुख्य बिन्दुओ को लिखते जाये
- पंचायत / ग्राम बाल सरंक्षण योजना
- पंचायत के सभी गाँवों की रूप-रेखा (गाँव डायरी की मदद ली जा सकती है)
- प्रकरण प्रबंधन रजिस्टर (बच्चो से जुडा कोई भी प्रकरण)
- अन्य दस्तावेज तथा आवश्यकता के अनुसार प्रतिवेदन (सफलता की कहानीया)

सन्दर्भ व्यक्ति यह ध्यान रखे की किसी जिम्मेदार साथी को यह महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौपें।

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के महत्वपूर्ण दायित्व :

समिति अपनी पंचायत एवं सदस्यों के साथ मिलकर मुख्य रूप से दो श्रेणियों के तहत गाँव/समुदाय के बच्चो की की स्थिति पर एक आधारभूत आंकलन करे तथा रिपोर्ट तैयार करे अथार्त " विधि से संघर्षरत बच्चे तथा देखभाल व सरंक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" इनकी समेकित जानकारी अपने पास रखे तथा जरुरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाये जैसे :

कमजोर बच्चे (बच्चे का नाम लिंग, उम्र, माता-पिता का नाम, गाँव का नाम, नामांकन की स्तिथी, व्यक्तिगत जरुरत तथा किसी योजना के लिए लिए उसकी पात्रता)।

आंगनवाडी सहित गाँव में शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाये तथा उनकी स्थिति।

गाँव में बाल श्रमिको की संख्या (व्यवसाय, लिंग व् उम्र के अनुसार)।

पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी जिसको किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो उसकी सम्पूर्ण जानकारी पुलिस से लेना।

ऐसे लोगो की जानकारी इक्कठा करना जिन्होंने बच्चो के खिलाफ कोई अपराध किया हो अथवा उस पर कोई ऐसा कोई केस चल रहा हो।

पंचायत में लिंगानुपात की स्तिथि।

गाँव में बच्चो के लिए खेलने, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं मनोरंजन की सुविधाओ से सम्बंधित।

क्षेत्र में काम कर रही कोई भी समुदाय आधारित संघठन या कोई स्वेछिक संस्था तथा योजनाओ की जानकरी रखना।

बच्चो के अधिकारो को मानव अधिकार के रूप में समझे तथा अन्य लोगो में भी जागरुकता फैलाये।

नियमित रूप से बच्चो के अधिकारों से जुडे मुद्दों को ग्राम सभा में उठाये।

इस आंकलन रिपोर्ट में बच्चो से जुडी मौजुदा योजनाओ (सरकारी / गैर सरकारी) की गुणात्मक तथा संख्यात्मक जानकारी होनी चाहिए. समिति यह रिपोर्ट अपने कार्यकाल शुरू होने के छः माह के भीतर बना ले तथा इसे प्रत्येक साल निम्नलिखित व्यक्तियोंध्अधिकारियो से संपर्क कर अपडेट कर लेः

- सम्बंधित सरकारी विभाग के सक्षम अधिकारी से
- क्षेत्र में मूलभूत सुविधा प्रदाताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, एन.जी.ओ. आदि
- बच्चों का गाँव में गठित बाल समूह
- गाँव में सबसे पुराना संचालित स्वयं सहायता समूह.
- पंचायत स्तर पर गठित अन्य समितिया
- सहयोगकर्ता

बाल संरक्षण एवं सम्बंधित सेवाओ में संबंध

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन धरातल स्तर पर बाल सरंक्षण तंत्र के रूप में अन्य सम्बंधित अधिकारियो एवं विभागों के साथ मिलकर कार्य करने की परिकल्पना के साथ किया गया है. अतः समिति निम्नलखित विभागों एवं अधिकारियो के साथ मिलकर धरातल स्तर पर बाल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

विद्यालय परिसर में बच्चो के साथ अभद्रता या शारीरिक दंड की स्तिथि में :

सबसे पहले समिति को विद्यालय प्रबंधन समिति से मिलकर मामले को स्थानिय स्तर पर सुलजाने का प्रयत्न करना चाहिये। पत्र को ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजे तथा एक प्रति जिला कलेक्टर, शिक्षा निदेशालय या बाल सुरक्षा हेतु राज्य आयोग में तथा किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, 2000 के अंतर्गत जिला स्तर पर नियुक्त जिम्मेदार अधिकारी को भेजे।

स्वास्थ्य:

कोई भी शिकायत / जाँच पत्र / सुझाव, संबन्धित स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दे तथा साथ ही एक प्रती मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कलेक्टर तथा जे.जे. एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी को भेजे।

बाल संरक्षण :

ऐसे बच्चो से जुड़े मुद्दे जिनको सरंक्षण एवं देखभाल की जरूरत हो तो जिले की बाल कल्याण समिति / चाइल्डलाइन (1098 टोल फ्री आपातकालीन नंबर) / स्थानीय पुलिस (किशोर / बाल कल्याण अधिकारी) / जिला बाल सरंक्षण ईकाई / जिला बाल सरंक्षण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड आदि से संपर्क करे

बाल श्रम :

आस पास में किसी भी बच्चे को बालश्रम करते देखे तो तुरंत श्रम निरीक्षक/ चाइल्डलाइन (1098 टोल फ्री आपातकालीन नंबर) / स्थानीय पुलिस (किशोर / बाल कल्याण अधिकारी) / जिला मजिस्ट्रेट / जिला बालश्रम टास्क फोर्स से संपर्क करे।

बाल विवाह :

बाल विवाह निषेध अधिकारी (स्थानिय तहसीलदार / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकारी।

आवश्यकता एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए भारत सरकार की 24 घंटे की निशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। कोई भी व्यस्क या बच्चा सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क रहित नंबर 1098 डायल कर सकता है। चाइल्ड लाईन न केवल बच्चों की आपातकालिन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखरेख और पुनर्वास के लिए उन्हे उपयुक्त सेवाओं से भी जोड़ती है।

गतिविधि -3

आवश्यक सामग्री : मौड्यूल की प्रति, पेन, रजिस्टर

पहले संदर्भ व्यक्ति आस-पास की 20-30 वस्तुऐं इकट्ठा करे और एक चादर से ढक देंगे। फिर संदर्भ व्यक्ति सम्भागियों को चार समूहों में बांट देंगे। संदर्भ व्यक्ति निर्देश दें कि इस चादर के नीचे कुछ वस्तुएं रखी है। पहले समूह एक आयेगा और एक मिनट में वस्तुओं को देखेगा और समूह 2 को जाकर दो मिनट में बताएगा। इसके बाद समूह दो सुनी हुई चीजों के नाम समूह तीन को जाकर बताएगा। अंत में समूह तीन बडे समूह में चीजो के नाम बतायेगा। गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व संदर्भ व्यक्ति तीनों समूहों हो निर्देश देंगे कि उन्हे योजना बनाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। और आप अपने समूह में चर्चा कीजिए या योजना बनाये कि यह कार्य अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है ? 5 मिनट बाद गतिविधि को क्रियान्वित करायें। ध्यान रहे कि चादर के नीचे रखी चीजें सिर्फ समूह एक के सम्भागी ही देखे अन्य समूह नही देख पायें।

अन्त में समूह तीन द्वारा बताये गए नामों को श्यामपटट पर लिखे और चादर हटाकर वस्तुएं दिखाएं। इस गतिविधि के संपादन के लिए समूहों द्वारा बनायी गई योजना जानने के लिए निम्न सवाल पूछे और संक्षेप में चर्चा करे।

1- आपने चीजों के नाम याद रखने के लिए क्या किया ?

2- प्रत्येक समूह ने अन्य समूह को नाम बताने के लिए क्या किया ?

3- सभी समूहों के नाम याद रखने के लिए क्या तरीका अपनाया ?

4- क्या सभी वस्तुओं के नाम बोर्ड पर आयेगा कितनी वस्तुओं के नाम बचें ?

5- सभी वस्तुओं के नाम नही आ पाने का क्या कारण रहा ?

6- क्या आपकी योजना सही थी ? क्या आप इसके अतिरिक्त और भी कुछ कर सकते थें ?

यहां एक-एक प्रश्न पर एक-दो मिनट लगाकर आगे बढ्ते जाए और अंतिम प्रश्न पर तीन से पांच मिनट की चर्चा करें। संदर्भ व्यक्ति कोशिश करें कि संभागी समझ पाये कि अगर वे बेहतर योजना बनाते तो यह कार्य बेहतर तरीके से हो सकता था।

गतिविधि - 4

संदर्भ व्यक्ति संभागियों से सवाल पूछे कि हम हमारी दैनिक जिन्दगी में कहां-कहां योजना बनाकर काम करते है ? सम्भागियो के जवाब को प्रोत्साहित करते हुए शादी या खेतीबाडी मे से एक उदाहरण लेकर योजना बनाकर काम करने पर 10 मिनट चर्चा करें जैसे -:

1. शादी/खेतीबाडी करने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी होती है ?
2. तैयारी में समय का ध्यान कैसे रखते है ?
3. तय समय में काम पुरा करने के लिए क्या संसाधनों / व्यवस्थाओं की जरूरत होती है।
4. अगर इतनी तैयारी नहीं करें तो काम अच्छा हो पाएगा।

संदर्भ व्यक्ति यहां जोर देकर योजना बनाने की उपयोगिता बतायें कि सभी महत्वपूर्ण कार्यो को योजना बनाकर करने से कार्य तय समय पर पूरा हो पाता है। साथ ही नतीजें भी बेहतर निकलते हैं जैसे शादी का उल्लास के साथ समापन या किसान बहुत अच्छी उपज प्राप्त कर पाते हैं।

समयावधि :- 75 मिनट

उद्देश्य :-

- बाल मैत्री गाँव की संकल्पना को समझना।
- बाल मैत्री गाँव को बनाने में सभी सदस्यों की भुमिका व सहभागिता को समझना।

आवश्यक सामग्री - मार्कर, 1 चार्ट, स्कैच पैन, सैलो टेप इत्यादि।

क्रियाविधि :-

इस सत्र में एक गाँव की स्थिति और उसमें बच्चो से जुडी समस्याओं पर चर्चा करते हुए बाल सरंक्षित गाँव के स्वरूप पर काम करें।

संदर्भ व्यक्ति संचालन की भूमिका बनायें कि हम सभी हमारे गाँव एवं पंचायत को बाल सरंक्षित बनाने के लिए एकत्रित हए, है। हम सभी मिलकर यह समझने की कोशिश करें कि हमारे गाँव में बच्चो से जुडी समस्याओं का समाधान करने में समिति की क्या क्या भूमिका हो सकती हैं।

संदर्भ व्यक्ति नीचे दी गई " **xyz** गाँव " की काल्पनिक स्थिति सहभागियों को सुनाऐं अैार सुनिश्चित करें कि सभी सहभागी केस स्टडी को समझ पाऐं।

xyz गाँव :-

. xyz एक गाँव है। गाँव की कूल जनसंख्या 1000 हैं। उसमे से 600 पुरुष व 400 महिलाये है गाँव में बच्चो की कुल जनसँख्या 400 हैं गाँव के विद्यालय में 150 बच्चों का नामांकन है इसमें से रोजाना 40-50 बच्चें ही स्कुल आते है । बाकी बच्चे गलियों में खेलते रहते है, कुछ लड़कियां घर और खेत में काम करने के कारण नही आ पाती है। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चो की भी कभी-कभी शिकायते आती है की उन्हें विद्यालय में शिक्षको द्वारा मार-पीट तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है 50 बच्चे गुजरात में कॉटन मील में काम करते है, 50 बच्चे पास के शहर में होट्ल व दुकानों पे कार्य करते हैं तथा 50 बच्चो का विवाह हो चूका है 100 बच्चे ऐसे हे जो ना तो विद्यालय जाते हे नाही कही मजदूरी करते हे वो बस घर पर ही रहते हे तथा कुछ खेत पर जाते हे अपने माता-पिता के साथ व कुछ लडकिया अपने छोटे भाई-बहिनों को सम्भालती हे गाँव में बहुत से परिवार तथा लोग ऐसे हे जो कई योजनाओ के लिए पात्र हे पर उन्हें उन योजनाओ का फायदा नहीं मिल रहा है।

सन्दर्भ व्यक्ति केस स्टडी को धीरे-धीरे पढ़े अगर किसी सदस्य को कुछ समझ नहीं आया हो तो दुबारा पढ़ कर सुनाये तथा यह सुनिश्चित करे की सभी प्रतिभागी उसको अपनी नोट बुक में लिखते रहे। केस स्टडी सुनाने के बाद संदर्भ व्यक्ति सभी सदस्यों से निम्नलिखित प्रश्न पुछकर चर्चा करें।

प्रश्न -1 xyz गाँव में क्या-क्या समस्या नजर आ रही है ?

संदर्भ व्यक्ति इस प्रश्न पर 20 मिनट तक चर्चा करते हुए सभी सहभागियों के जवाबों को निम्नलिखित क्षैत्रों के अनुसार चार्ट पर लिखें। यह क्षैत्रं हैं :-

(अ) बच्चो की सुरक्षा से जुडी (ब) बच्चों की अच्छी पढ़ाई -लिखायी से जुड़ी।

(स) गाँव में सुविधाओं से जुडी। (द) गाँव में बच्चो के लिए रहने का माहौल ।

संदर्भ व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागी (महिला-पुरुष) समान रूप से सक्रिय भागीदारी करें इसके लिए कोशिश करें कि सभी सहभागियों से प्रश्न पुछे जों और जवाब देने के लिए आग्रह करें।

अब संदर्भ व्यक्ति दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें, प्रश्न निम्नानुसार है :-

प्रश्न - 1 आप ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य है, इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कोशिश करेंगे ?

संदर्भ व्यक्ति 20 मिनट चार्ट पर लिखी गांव की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करें। यहां एक एक क्षेत्र समस्या के समाधान पर चर्चा करें और प्रयास करें कि छोटे छोटे करणीय प्रयासों को रेखांकित किया जा सके । सभी समाधानों को चार्ट-2 पर लिखते जाऐ साथ ही साथ अन्य सहभागियों द्वारा इन समाधानों पर सहमति - असहमति की राय लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाये। यदि सहभागियों द्वारा किसी समस्या का समाधान प्राप्त नही होता है तो संदर्भ व्यक्ति निम्नांकित संभावित समाधान करे एवं सभी की सहमति-असहमति प्राप्त नही की राय लेवें।

इस प्रकार सन्दर्भ व्यक्ति अपने विवेक से स्थानिय स्तर पर संभावित समाधान की सुची बना सकते है। अब सन्दर्भ व्यक्ति तीसरे प्रश्न पर चर्चा करे-

1 बच्चो की सुरक्षा : गाँव के सभी बच्चे सुरक्षित रहे उसके लिए समिति यह ध्यान रखे की किसी भी बच्चे के साथ अन्याय न हो अगर ऐसी स्थिति हो तो तुरंत सम्बंधित अधिकारी या पुलिस विभाग से संपर्क करे।

2 बच्चो की अच्छी पढाई-लिखायी - पी.एल.सी.पी.सी. के सदस्य विद्यालय के शिक्षको तथा विधालय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अभिभावकों से बातचित करके 100% नामाकंन एवं ठहराव हेतु प्रयास कर सकते है।

3 गाँव में भौतिक सुविधाएँ : पी.एल.सी.पी.सी सदस्य स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सुधार ला सकते है।

4 पी.एल.सी.पी.सी की प्रति माह बैठक हो एवं इसका गठन लोकतान्त्रिक तरीके से किया या हो।

प्रश्न-3 एक

आदर्श बाल मैत्री गाँव कैसा होना चाहिए

यहां संदर्भ व्यक्ति समुह से यह भी कह सकते है कि xyz गांव बहुत अच्छा गाँव हो जाये तो वहां क्या क्या अच्छी बातें दिखेगी इस प्रश्न पर 20 मिनट तक चर्चा करे और चर्चा के बिन्दु चार्ट पर लिखते जाए। संदर्भ व्यक्ति अपनी चर्चा को इन बिन्दुओं पर केन्द्रित करे।

बाल मैत्री / बाल हितैषी ग्राम पंचायत :

अब जब हमने बच्चो से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा समस्याओ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए अध्ययन कर लिया है व बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पी.अल.सी.पी.सी. कि भूमिका के बारे में भी जान लिया है, क्या आप जानते हे कि आपकी ग्राम पंचायत भी "बाल-मैत्री" बन सकती है ?

बाल मैत्री ग्राम पंचायत वह हे जहाँ :

- सभी जरूरतमंद बच्चो तथा परिवारों को सम्बंधित सरकारी योजनाओ का लाभ मिले।
- विद्यालय में बच्चो के समूह बने तथा नियमित रूप से कार्य करे साथ ही बाल ग्राम सभा का आयोजन हो।
- गाँव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई भी बच्चा बालश्रम में ना हो तथा किसी भी बच्चे का बाल विवाह नहीं हो।
- बच्चे सुरक्षित तथा सम्मानित महसूस करे वे शिक्षा, खेल व मनोरंजन का लाभ उठाये और उनको अपनी राय व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो।

संदर्भ व्यक्ति उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार बाल मैत्री से सम्बन्धित छोटे छोटे उदाहरणों और सूचकों पर चर्चा करें।

प्रतिभागियों को यह मदद करे कि यह छोटे छोटे बातें किसी भी गाँव को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है।।

- पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन व मजबूतीकरण में सहयोगकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि यह समिति समुदाय आधारित बाल सरंक्षण प्रणाली है। सहयोगकर्ता समिति का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, मगर इसका मतलब यह नहीं की अगर सहयोगकर्ता नहीं होगा तो समिति कमजोर पड जाएगी। समिति अपने आप में एक बहुत मजबूत संगठन है फिर भी समिति का एक अभिन्न अंग होने के नाते सहयोगकर्ता को निम्नलिखित बातो का ध्यान रखना चाहिए

- गाँव की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तिथि तथा गाव के अन्य वर्गो (जाति, वर्ग, धर्म, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि) एवं गाम में विकास के मुद्दों के लिए अपनी संवेदनशीलता को समझे ।
- उसका दृष्टिकोण गैर पक्षपातपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और लचीला होना चाहिए।
- अगर फैसीलिटेटर स्थानिय हे तो ज्यादा से ज्यादा स्थानिय भाषा का प्रयोग करे तथावहा की संस्कृति का सम्मान करे।
- समिति के सभी सदस्यों में एकता बना कर रखे तथा सभी सदस्यों से निरंतर संपर्क बनाये रखे ।
- दैनिक डायरी बनाये तथा उसमे रोजाना की गतिविधिया लिखते रहे।
- समिति को सामान्य, वार्षिक, बैठक प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेज बनाने में मदद करे।
- सदस्यों के साथ बाल अधिकारों पर निरंतर अपडेट साझा करे ।
- पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति तथा बाल सरंक्षण से सम्बंधित सरकारी विभागों के बीच समन्वय बनाये।

समापन , शपथ एवं धन्यवाद् समारोह

समयावधि : 30 मिनिट

समापन :-

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के प्रशिक्षण के पश्चात् सहयोगकर्ता समापन के समय अपने सम्बोधन में बैठक में आये हुए सभी सदस्यों से यह अपेक्षा व्यक्त करेगें की एक दिवसीय बैठक में हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारीयो को पूर्ण रूप से समझकर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने ग्राम में अपनाकर अपने गांव को एक बाल मित्र गांव बनाएं जैसे-

- आप सभी अपने गावं के सभी बच्चो की सुरक्षा, शिक्षा, उचित देखभाल करेंगे।
- आप सभी ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कर्तव्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।
- बच्चो के साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना को ग्राम स्तरीय संरक्षण समिति को अवगत करे।
- बच्चो की सम्पूर्ण संरक्षण का ध्यान रखे।
- आप सभी हर माह होने वाली बाल सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में भाग लेंगे।
- आप सभी अपने व आस पास के सभी बच्चो को नियमित रूप से स्कुल भेजे।

शपथ :-

ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के प्रशिक्षण में आये हुए सभी सम्भागियो को सहयोगकर्ता एक जगह एकत्रित कर एक गोले में (गोलाकार) खड़ा कर हर एक सदस्य के द्वारा रस्सी में गाठे लगवाते हुए वह सदस्य एक शपथ लेगा।

हर सदस्य को एक - एक शपथ दिलवाएगा की हम सभी यह शपथ लेते है की हम अपने गाव को बाल श्रम से मुक्त, बच्चो को शिक्षा व स्कुल से जोडना, बच्चो के लायन में कमी, बच्चो के अधिकारो के प्रति जागरुक करना, बाल विवाह से मुक्त करना और अपने गांव को आदर्श एवं बाल सुरक्षित गावं बनाने की शपथ लेते है।
उसके बाद सभी सदस्यों से एक-एक कर के शपथ दिलवाएंगे।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण कार्य योजना प्रारूप -
विशेष देखभाल एंव संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बच्चों की समेकित जानकारी

क्र.स.	श्रेणी	कुल बच्चे	निर्णय लिया गया	जिम्मेदार व्यक्ति	फॉलो किया गया	विशेष टिप्पणी
1	अनाथ बच्चे					
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (विकलांग बच्चे)					
3	परित्यक्त बच्चे					
4	जिनके मात-पिता आजीवन करावास में हो या सजा ए मौत सुनायी गयी हो।					
5	नाता जाने वाली माता के बच्चे					
6	बाल मजदूरी करने वाले बच्चे					
7	बाल विवाहित बच्चे					
8	गुमशुदा बच्चे					
9	पालायन करने वाले बच्चे					
10	विधवा माता के बच्चे					
11	अन्य श्रेणी (यदि हो तो उल्लेखित करें)					

क्र.स.	श्रेणी	पात्र लाभार्थीयों की संख्या	निर्णय लिया गया	जिम्मेदार व्यक्ति	फॉलो किया गया	विशेष टिप्पणी
1	पालनहार					
2	विधवा पेंशन					
3	वृद्धा पेंशन					
4	निशक्त पेंशन					
5	विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना					
6	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासिय विद्यालय योजना					
7	डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातिय विवाह योजना					
8	सहयोग योजना					
9	उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ती योजना					
10	आस्था योजना					
11	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना					
12	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना					
13	निशक्त विवाह अनुदान योजना					
14	अनुप्रति योजना					

धन्यवाद :-

अंत में सहयोगकर्ता ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति में आये हुए सभी सम्भागियो को हाथ मिलाकर व नमस्ते कहकर और बैठक में आने के लिए धन्यवाद देंगे और बैठक समाप्त करेगा।

वाग्धारा
मुख्य कार्यालय :-मुकाम पोस्ट कुपडा बाँसवाडा (राज.) पिन कोड :- 327001 फोन : +91-9414082643 फेक्स : +91-9024573411
शाखा कार्यालय :- राघव अपार्टमेन्ट आदित्य विहार,गाँधी पथ, जयपुर (राज.) पिन कोड :- 302021 फोन : +91-141 2359608
Email : vaagdhara@gmail.com website : www.vaagdhara.org